संख्या-143/2015/3439/41-2015-48 यो0/12 टी0सी0

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 14 अक्टूबर, 2015**

विषय- आगरा में ताजगंज वार्ड तथा ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गों के उच्चीकरण तथा सौन्दर्यीकरण हेतु पुनरीक्षित परियोजना के क्रियान्वयन सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगरा में ताजगंज वार्ड तथा ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गों के उच्चीकरण तथा सौन्दर्यीकरण हेतु पुनरीक्षित परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 119/2015/1893/41-2015-48 यो0/12 टी0सी0, दिनांक 11-08-2015 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है।

2- आगरा में ताजगंज वार्ड तथा ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गों के उच्चीकरण एवं सौन्दर्यीकरण की योजना (ताजगंज परियोजना) के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा गठित किये गये आगणन रू0 141.18 करोड की परीक्षणोपरान्त व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 25-10-2012 द्वारा रू0 136.49 करोड की लागत अनुमोदित की गयी। तत्क्रम में शासनादेश संख्या- 1501/41-2013-48 यो0/12 -टी0सी0-1 दिनांक 26-06-2013 द्वारा रू0 136.49 करोड की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

3- भारत सरकार की स्वीकृति पत्र दिनांक 30-04-2013 के माध्यम से ताज परियोजना हेतु रू0 24.551 करोड की लागत अनुमोदित की गयी। योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सेक्टर के अन्तगर्त वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या-1799/41 -2013-48 यो0/12, दिनांक 06-12-2013 रू0 108.4155 करोड की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 22.7942 करोड की स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

4- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 08.08.2014 को ताजगंज परियोजना सहित अन्य विकास कार्यों की समीक्षा में यह निर्णय लिया गया है कि विद्युत केबिल एच0पी0 लाईन व एल0टी0 लाइन की अण्डर ग्राउण्डिग के कार्य हेतु दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को कार्यदायी संस्था नामित कर दिया जाय, जिसके द्वारा अनुबन्ध के आधार पर उक्त कार्य मेसर्स टोरन्ट पॉवर लि0 से सम्पादित कराया जायेगा।

5- आगरा में ताजगंज वार्ड तथा ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गों के उच्चीकरण एवं सौन्दर्यीकरण की योजना (ताजगंज परियोजना) के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा गठित किये गये पुनरीक्षित आगणन रू0 175.90 करोड की परीक्षणोपरान्त

http://shasanadesh.up.nic.in

व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 09.09.2014 द्वारा रू0 167.92 करोड की लागत के अनुमोदन के क्रम में शासनादेश संख्या-54/2454/41-2014-48 यो0/12, दिनांक 14.10.2014 द्वारा रू0 167.92 करोड की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

6- ताजगंज परियोजना की प्रगति स्टेट लेवेल कमेटी की बैठक दिनांक 12.02.2015 में महाप्रबन्धक, उ0प्र0 निर्माण निगम लि0 द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नवीन वास्तुविद् फर्म मेसर्स आरकोहम कन्सल्ट्सट प्रा0 लि0, नोएडा का चयन किया गया। परियोजना हेतु चयनित वास्तुविद् फर्म द्वारा विस्तृत कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित स्टेट लेवेल कमेटी के समक्ष दिनांक 28.04.2015 को किया गया। बैठक में उ0प्र0 निर्माण निगम द्वारा अवगत कराया गया कि नवीन वास्तुविद् फर्म द्वारा तैयार की गयी विस्तृत कार्य योजना के आधार पर परियोजना के लागत में वृद्धि हो रही है।

7- कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा उपलबध करायी गयी आख्या के अनुसार परियोजना की मूल स्वीकृति वर्ष 2013 की एस0ओ0आर0 दरों पर आधारित तथा पुनरीक्षित आगणन 2014 की एस0ओ0आर0, डी0एस0आर0 की दरों पर बनाया गया है जिस कारण मूल्य वृद्धि हुई है। मद वृद्धि एवं कुछ मदों की मात्राओं में वृद्धि हो जाने के कारण मूल लागत में वृद्धि हुई। जिन मदों के रेट एस0ओ0आर0 में उपलब्ध नहीं थे, उन मदों के रेट डी0एस0आर0 से लगाये गये थे।

8- दिनॉक 25.06.2015 को उ0प्र0 निर्माण निगम लि0 द्वारा उपलब्ध कराया गया पुनरीक्षित आगणन पी0एफ0ए0डी0 को मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें व्यय समिति के द्वारा इस योजना के पुनरिक्षित प्रस्ताव के क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये। व्यय वित्त समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित जिन कार्य मदों की दरें डी0एस0आर0 के आधार पर प्रस्तुत की गयी, उनकी आवश्यकता एवं औचित्य तथा लागत का उल्लेख करते हुए तथ्यात्मक विवरण के साथ ही परियोजना प्रयुक्त उच्च विशिष्टियों तथा ग्रेनाइट स्टोन, स्टोन क्लेडिंग, कॉबल स्टोन फलोरिंग लैम्प-पोस्ट एवं ताजगंज विजिटर सेन्टर हेतु किये जाने वाली नवीन कार्यों पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय। तत्क्रम में प्राप्त निर्देशानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

9- अत: उक्त के क्रम में आगरा में ताजगंज वार्ड तथा ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गो के उच्चीकरण तथा सौन्दर्यीकरण एवं पुनरीक्षित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश दिनांक 11-08-2015 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय वित्त समिति द्वारा पुनरीक्षित परियोजना में प्रयुक्त विभिन्न उच्च विशिष्टियों/कार्यमदों के कार्यों के साथ ही सम्पूर्ण परियोजना की लागत रू0 19727.15 लाख अनुमोदित की गयी है। अत: व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत के अनुसार प्रश्नगत परियोजना हेतु रू0 19727.15 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत निर्माण का कार्य निर्धारित टाईम लाइन के अनुसार पूर्ण किया जायेगा तथा प्रस्तावित उच्च विशिष्टियों के संबंध में व्यय वित्त समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य सम्पादित किये जायेगें।
2. योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश सं0-1799/41-2013-48यो0/12, दि0 06 दिसम्बर, 2013, शासनादेश सं0-54/2454/41-2014-48 यो0/12, दि0-14 अक्टूबर, 2014

http://shasanadesh.up.nic.in

एवं शासनादेश सं0 119/2015/1893/41-2015-48 यो0/12 टी0सी0, दिनांक 11-08-2015 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु व्यय वित्त समिति के समस्त निर्देश तथा इस सम्बन्ध में पर्यटन विभाग द्वारा निर्गत समस्त शासनादेश/कार्यालय-ज्ञाप आदि में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. परियोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु स्वतन्त्र थर्ड पार्टी निरीक्षण की व्यवस्था आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जायेगी जो योजना का समवर्ती निरीक्षण करेगी तथा भुगतान की संस्तुति भी करेगी।

भवदीय

(अमृत अभिजात)
सचिव।

संख्या-143/2015/3439(1)/41-2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार] उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, आगरा/जिलाधिकारी, आगरा।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
7- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, आगरा परिक्षेत्र, आगरा।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
9. निदेशक, सी0 एन्ड डी0एस0, जल निगम, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, आगरा।
11- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

http://bhasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in